बैंक फ्रॉड रोकने के लिए 24 घंटे पहुंच सुनिश्चित कराए : हाईकोर्ट

- डेटा बेचने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जताई मंशा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि डिजीटल विकास के तेजी से बदलते युग में साइबर अपराध तेजी से बढ रहे हैं। सरकार की ओर से इसे रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन अब और अधिक गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया कंपनियों की ओर से लोगों का डेटा बेचा जा रहा है और साइबर अपराधी उसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में इन कंपनियों सहित अन्य आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अदालत ने कहा कि आरबीआई के परिपत्र के अनुसार सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को वेबसाइट, फोन, एसएमएस, ई-मेल, आईवीआर, टोल-फ्री हेल्पलाइन आदि के माध्यम से चौबीस घंटे पहुंच प्रदान करने की सुविधा देना जरूरी है। जिससे ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत जवाब दिया जा सके। अदालत ने वित्त विभाग और आरबीआई को आदेश की कॉपी भेजते हुए कहा कि ग्राहकों की मेहनत की कमाई की सुरक्षा के लिए उपाय किए जाए। वहीं अदालत ने आईडीबीआई बैंक को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता के खाते से निकल 58.93 लाख रुपए छह फीसदी ब्याज सहित अदा करे। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश राकेश तोतुका की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि उसका आईडीबीआई बैंक में खाता है। उसके खाते से 11 फरवरी, 2022 की रात 16 बार में 58.93 लाख रुपए की अनाधिकृत निकासी हो गई। जिसकी शिकायत उसने 13 फरवरी को कर दी। याचिका में कहा गया कि आरबीआई के 6 जुलाई, 2017 के परिपत्र के अनुसार अनाधिकृत निकासी के तीन कार्य दिवस में शिकायत होने पर ग्राहक की घटना को लेकर शून्य जिम्मेदारी हो जाती है। जिसके जवाब में बैंक की ओर से कहा गया कि लेनदेन को लेकर याचिकाकर्ता के पंजीकृत नंबर पर मैसेज गया था, लेकिन वह फेल हो गया। वहीं याचिकाकर्ता ने कोई ई-मेल नहीं दिया था। बैंकिंग लोकपाल ने 13 दिसंबर, 2022 को याचिकाकर्ता को 15.60 लाख रुपए देने के आदेश दिए थे। ऐसे में शेष राशि देने के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

एकलपीठ के आदेश पर रोक

- 25 लाख रुपए सालाना आय वाले अभ्यर्थी को मिलती रहेगी स्कॉलरशिप

जयपुर। हाईकोर्ट ने एकलपीठ के गत 29 अप्रैल के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत एकलपीठ ने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 25 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के अभ्यर्थी को ई-3 वर्ग में दी जा ही छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि यदि उसे स्कॉलरशिप चाहिए तो वह अपील के निस्तारण तक संपत्ति राज्य सरकार के समक्ष गिरवी रखे, ताकि यदि अपील का फैसला उसके खिलाफ हो तो उससे वसूली की जा सके। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश मनजीत देवड़ा की अपील पर दिए।

विभागीय जांचों के लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी सरकार के शासन तंत्र की मुख्य धुरी हैं, जिनकी जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में अहम भूमिका होती है। ऐसे में कार्मिक पूरे समर्पण भाव एवं सत्यनिष्ठा से काम करते हुए राज्यहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं को पूरा लाभ मिल सके।

शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर कार्मिक विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए आमजन को गुड गवर्नेन्स देने का कार्य प्राथमिकता से कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय जांच के 16 सीसीए, 17 सीसीए सहित 17ए के लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण हो, जिससे राजकीय कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक है, उनके सचिव ऐसे प्रकरणों की स्वयं के स्तर पर प्रति सप्ताह समीक्षा करें। लंबित प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित अवधि में पूरा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों का अनुशासन एवं सेवा-भाव राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण होता है।

खोया पाया

में दीनदयाल शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा निवासी 29 रामपुरावास गोनेर रोड जयपुर हु की प्रॉपर्टी प्लॉट 14/OH/147 ब्लॉक H रिंग रोड परियोजना का मूल एलॉटमेंट लेटर जगदीश शर्मा के नाम से था जो गुम हो गया है मिलने पर सूचित करे 9667753902

मेरे भूखण्ड संख्या A-152 जेडीए की योजना बोधिरत्नम विहार जयपुर का जेडीए से जारी मूल जेडीए पट्टा एवं साइड प्लान एवं स्टांप पेपर कही खो गया है सूचित करें - संजय द्विवेदी मो- 8826686265

नाम परिवर्तन

मैं दिनेश ये घोषित करता हूं कि मैंने स्व. पिता जी का नाम शिव राम था जो कि अब आधार कार्ड व पैन कार्ड में शिव राम वर्मा से है और इनका नाम इनके मृत्यु प्रमाण पत्र मैं शिव राम है जो कि गलत है कृप्या इन्हें शिव राम वर्मा जो के नाम को सही माना जाये।

No.4204049W Havildar Prakash Chand Yadav My Father Lilaram Yadav name has been wrongly recorded in the military records.while according to the Aadhaar card the correct name is Lila RAM.

No.4204049W Havildar Prakash Chand Yadav My Mother Santra Devi name has been wrongly recorded in the military records.while according to the Aadhaar card the correct name is Santra.

I Shashi Bala legally wedded spouse of service no 1257676F Ex HAV Late Arjun Singh rajawat S/O Hari Singh Rajawat resident of 5/S-6 SFS shopping center Jaipur that i have changed my name From SHASHI BALA (DOB 30 NOV 1957) which is wrongly entered my husband service record To SHASHI RAJAWAT (DOB 5 DEC 1958) vide affidavit dated 7 MAY 2025 before district notary Jaipur

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य वालचंद सैनी पुत्र मदन लाल, निवासी-झेडा की ढाणी, सियाराम बाबा की डुंगरी, आमेर, जिला जयपुर का रहने वाला है। मेरे अभिभाष्य का छोटा भाई दीपचंद तथा उसकी पत्नि प्रेमलता शादी के उपरांत से ही मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है और अपनी मनमर्जी से अलग रह रहे है तथा उनसे मेरे अभिभाष्य का कोई संपर्क संबंध नही है। जो कोई व्यक्ति/संस्था इनसे किसी प्रकार का संव्यवहार करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी।
जयपुर (शकील अहमद/साजिद खान) एडवोकेट्स
दिनांक : 08.05.2025 मो.- 9314263203

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाड़ी
आवश्यक सूचना मूलतः दुकान संख्या 04 पुरानी कॉलोनी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाड़ी श्री बलराम करहना को आवटन पत्रांक 134 दिनांक 03.07.1992 के द्वारा आवंटित की गई थी। मण्डल द्वारा इनके पक्ष में अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 826 दिनांक 14.02.1996 को जारी किया जा चुका है। इनके द्वारा उक्त दुकान का मूस्च्यारआम दिनांक 27.04.1998 को श्री प्रकाश वीर पुत्र स्वो श्री रघुवीर सिंह को नियुक्त किया गया। श्री प्रकाश वीर द्वारा मुख्यतारआम धारक की हैसियत से उक्त दुकान की रजिस्ट्री दिनांक 07.05.2013 को उप पंजीयक भिवाड़ी मे पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री प्रकाश वीर द्वारा उक्त दुकान का बेचान दिनांक 07.05.2013 के पंजीकृत बयनामों द्वारा स्वयं के नाम से किया गया। श्री प्रकाश वीर की मृत्यु दिनांक 13.06.2020 को हो जाने के पश्चात उनकी धर्मपत्नि श्रीमती ममता रानी द्वारा श्री प्रकाश वीर के पुत्र श्री हिमांशु मित्तल के पक्ष में दिनांक 22.09.2021 को हकत्याग पत्र उप-पंजीयक भिवाड़ी में पंजीकृत किया गया। श्री हिमांशु मित्तल द्वारा उक्त दुकान का बेचान दिनांक 05.02.2024 को विक्रय-पत्र द्वारा श्रीमती कलसूम पत्नी श्री अहसान को उप-पंजीयक भिवाड़ी मे पंजीकृत किया गया। श्रीमती कलसूम द्वारा स्वंय के नाम से दुकान का लीज डीड परिवर्तन करने के लिए प्रपत्र एवं प्रशासनिक शुल्क दुकान एक बार विक्रय का राशि रुपये 1000/- व मृत्योपरान्त नाम परिवर्तन शुल्क 2000 रुपये / जमा कराकर चालान प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त दुकान का लीज स्थानान्तरण उनके पक्ष मे किया जावे। अतः जरिये इस विज्ञिप्त यह आगाह किया जाता है कि उक्त दुकान संख्या 04 पुरानी कॉलोनी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाड़ी के संबन्ध मे किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो यह इस विज्ञिप्त के प्रकाशित होने के 10 दिवस मे आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाड़ी मे अपना एतराज लिखित मे प्रस्तुत करे अन्यथा श्रीमती कलसूम पत्नी श्री अहसान के पक्ष में दुकान संख्या 04 पुरानी कॉलोनी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाड़ी के लीज स्थानान्तरण की कार्यवाही की जावेगी ।
आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-भिवाडी

कार्यालय उपायुक्त, आदर्श नगर जोन, नगर निगम जयपुर, हैरिटेज
(जवाहर नगर सेक्टर नं 4, एम.पी.एस. स्कूल के पास, जयपुर)
क्रमांकः- F54/A.N.Z./Dy Comm.// सामान्य शाखा/ 2025/156
सार्वजनिक सूचना: दिनांक: 08/05/25
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनेश खण्डेलवाल पुत्र श्री कल्याण खण्डेलवाल भूखण्ड संख्या एम-7, आनन्दपुरी, जयपुर के द्वारा आवंटन पत्र, पंजीकृत वसीयत पत्र, विक्रय पत्रों, निर्धारित वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) आदि अन्य दस्तावेजो के आधार पर अपने भूखण्ड संख्या एम-7, आनन्दपुरी, जयपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज का नामहस्तानान्तरण चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 7 दिवस की अवधि में अपनी लिखित आपत्ति मय सबूत के प्रस्तुत करे। मियाद बाद प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नही किया जाकर नामहस्तानान्तरण जारी करने से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगा। सूचित हो। युगान्तर शर्मा (R.A.S)
उपायुक्त आदर्श नगर जोन नगर निगम जयपुर हैरिटेज

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है प्लाट नं.-21 का पश्चिमी हिस्सा, योजना कुमावत बाडी, खातीपुरा, जयपुर जो श्री पूर्णचन्द कसाणा को जरिये अंवटन पत्र दिनांक 29.03.1993 द्वारा आवंटित किया गया, तत्पश्चात् पूर्णचन्द कसाणा का स्वर्गवास दिनांक 07.03.2012 को हो गया तथा उनके वारिसान दीपिका कसाणा (पुत्री), रितिका कसाणा (पुत्री), नितिन कसाणा (पुत्र) एवं इन्द्र कसाणा (पुत्र) ने दिनांक 07.05.2025 को रूकमणी (पूर्णचन्द कसाणा की पत्नि) के हक में पंजीकृत हकत्याग-पत्र निष्पादित कर दिया, जिसे उक्त हक-त्याग पत्र में वर्णित वारिसान को लेकर कोई या उक्त सम्पत्ति को लेकर कोई आपत्ति इत्यादि है तो 7 दिवस के भीतर उक्त पते पर सम्पर्क करे उसके पश्चात् की गई आपत्ति मान्य नहीं होगी। अधिवक्ता अमित शर्मा
कार्यालय पता- बेसमेंट फ्लोर, वंदना अपार्टमेंट, प्लॉट नं. डी-5, मीरा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, मो. 9783021119

हैतुक दर्शित करने के लिये सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्याक-4
न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश स्थान क्र.सं. 2 जयपुर महानगर द्वितीय
रामचरण विरुद्ध सुमन
वाद/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना-पत्र संख्या 29/2025 सन
नाम श्रीमती सुमन पत्नी पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह जाति, पता मकान नंबर 182 भोपाजी का डेरा, खेतड़ी हाऊस रोड, जयपुर राजस्थान
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न नहीं है। अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 17 माह 05 सन 2025 को 8 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज ता. 07 माह 05 सन 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत
अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, जयपुर महानगर द्वितीय

कार्यालय नगर परिषद, दौसा (राजस्थान)
फोनः नं. 01427-220054, E-mail: dausa.jaipur@yahoo.com
क्रमांकः न.प.दौ / 2025-2026/662 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 08/05/2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जरिये प्रतिनिधि श्री राम कुमार भूतडा पुत्र शिव दयाल भूतडा जाति महाजन निवासी महाजनों का बास डोडियाना नागौर हाल निवासी सरदार पटेल मार्ग जयपुर द्वारा ग्राम जिरोता कलां खसरा नम्बर 778/134 में प्लॉट संख्या 1 का कुल क्षेत्रफल 2371.6 वर्गमीटर है जिसका प्रार्थी द्वारा संस्थागत पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

क्र. स.	आवेदक का नाम मय पता	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	वर्तमान में उपयोग	चाहा गया उपयोग
1	भारतीय जनता पार्टी जरिये प्रतिनिधि श्री राम कुमार भूतडा पुत्र शिव दयाल भूतडा जाति महाजन निवासी महाजनों का बास डोडियाना नागौर हाल निवासी सरदार पटेल मार्ग जयपुर	2371.6	परिधि नियंत्रण पट्टी	संस्थागत

अतः किसी भी आम खास को कोई भी उज्र या आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर-अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में प्रस्तुत करें, बाद मयाद आपत्ति पेश नही की सूरत में भू-उपयोग परिवर्तन के साथ-साथ एकल पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेंगी। उक्त सूचना आज दिनांक 08/05/2025 को जारी की गई है।
आयुक्त, नगर परिषद दौसा

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सन न्यायाधीश क्रम-02 जयपुर-2 महानगर (द्वितीय)
राचरण विरुद्ध सुमन
वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा ता. पेशी 17.5.25
वाद सं. 55 सन 2025
बनाम सुमन पत्नी जितेन्द्र सिंह जाति
स्थान मकान नंबर 182 भोपाजी का डेरा खेतड़ी हाऊस रोड, जयपुर
प्रार्थी ने आपके विरुद्ध नाम संलग्न के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 17 माह 05 सन 2025 को दिन में 8 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुरजाई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊफर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद 5 तारीख 5 माह 25 सन को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, जयपुर महानगर द्वितीय

पावरग्रिड POWERGRID
सूचना
1. सीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियम 1999 और सीईआरसी (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम 2019 के विनियम-86 के तहत अनुमोदन i) 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का सही निर्धारण और ii) 2024-29 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण याचिका-1: परिसंपत्ति के लिए: भादला सब-स्टेशन पर 500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी-8 के साथ-साथ संबद्ध 400 केवी और 220 केवी बे के तहत "उत्तरी क्षेत्र में भादला पूलिंग स्टेशन योजना में 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (8वें) के कार्यान्वयन"।
2. उपरोक्त पारेषण प्रणालियों के लाभार्थी हैं: (क) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. (ख) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (ग) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. (घ) पंजाब राज्य विद्युत निगम लि. (ङ) हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र (च) जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लि. (छ) उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लि. (ज) बीएसईएस यमुना पावर लि. (झ) बीएसईएस राजधानी पावर लि. (ञ) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि. (ट) चंडीगढ़ विद्युत विभाग (ठ) उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन लि. (ड) उत्तर मध्य रेलवे (न) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद. (ण) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (प) सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लि.
3. टैरिफ विवरण:
क) 2019-24 ब्लॉक (रुपए लाख में)

परिसंपत्ति विवरण	डीओसीओ	31.03.2024 तक पूर्णता लागत		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
परिसंपत्ति-1	31.03.2023	2726.47	एएफसी अनुमोदित	0.00	0.00	0.00	1.69	748.24
			ट्रूइंग अप के आधार पर संशोधित ए.एफ.सी.	0.00	0.00	0.00	1.70	675.67

ख) 2024-29 ब्लॉक (रुपए लाख में)

परिसंपत्ति विवरण	31.03.2029 तक पूर्णता लागत		2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
परिसंपत्ति-1	4386.33	एएफसी	717.48	851.12	888.44	881.17	875.01

4. इस नोटिस और टैरिफ निर्धारण के लिए किए गए आवेदन की एक प्रति आवेदक की वेबसाइट www.powergrid.in पर प्रकाशित की गई है।
5. आवेदन में निहित टैरिफ के निर्धारण के प्रस्तावों पर सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, तो लाभार्थी सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, 6वीं, 7वीं और 8वीं मंजिल, टॉवर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029 (या अन्य पता जहां आयोग का कार्यालय स्थित है) के समक्ष दायर की जानी चाहिए, जिसकी एक प्रति आवेदक को अपने कॉर्पोरेट कार्यालय "सौदामिनी", प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुरुग्राम - 122001 के पते पर इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत की जा सकती है।
स्थानः गुरुग्राम हस्ता./-
दिनांकः 02.05.2025 वरिष्ठ महाप्रबंधक (नियामक प्रकोष्ठ)
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
निगमित कार्यालयः "सौदामिनी", प्लॉट सं. 2, सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा), फोन नं. : 0124-2571700-719
पंजीकृत कार्यालयः बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016, फोन नं. : 011-26560112, 26560121
वेबसाइटः www.powergrid.in, सीआईएनः L40101DL1989GOI038121
एक महारत्न पीएसयू
PG/CC/Notice-229/Advt-296/2025-26/Vermmillion

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति

आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अकादमिक के साथ-साथ प्रशासनिक प्रमुख होने के कारण कुलपति से निम्नलिखित अपेक्षित है :-
- सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता सम्पन्न व्यक्ति।
- एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष या प्रतिष्ठित अनुसंधान और / या अकादमिक संगठन में प्रशासनिक नेतृत्व का प्रदर्शन करने के प्रमाण के साथ 10 वर्ष का अनुभव।
- इस विज्ञापन में आवेदन प्राप्ति की समापन तिथि पर 65 वर्ष की आयु से अधिक आयु का नहीं होना वांछनीय।

वेतन और सेवा शर्तें
- पद हेतु अन्य सामान्य भत्तों और 11250/- रुपए के विशेष भत्तों के साथ 2,10,000/- रुपए (नियत) प्रतिमाह का वेतन निर्धारित है।
- सेवाओं की निबंधन और शर्तें वह होंगी जो विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं संविधियों तथा अध्यादेशों में दी गई है।

नियुक्ति हेतु प्रक्रिया
- कुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के एक पैनल में से की जाएगी।
- यह विज्ञापन वेबसाइ http://www.education.gov.in और https://cuap.ac.in पर उपलबद्ध है।

''केवल ऑनलाइन आवेदन करें''
- उम्मीदवारों को नीचे दिए गए लिंक के अनुसार केवल शिक्षा मंत्रालय समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा:
https://vcrec.samarth.ac.in/index.php/
- उपरोक्त लिंक दिनांक 09.05.2025, 10.00 घंटे से दिनांक 07.06.2025 17.00 घंटे तक सक्रिय होगा।

CBC21201/11/0001/2526

आम सूचना माँ भवानी नगर ए, ग्राम हेहरा, तहसील चौमू जिला जयपुर के भूखण्डधारियो को सूचित किया जाता है कि उक्त योजना के संयोजन हेतु काश्तकार खातेदार गोपाल, बोदू, नानू, शंकर लाल, जाति मीणा को संयोजक पद पर नियुक्त किया गया। जानकारी मे आया है कि उक्त खातेदार संयोजको ने समिति को बेचान की गई अपनी भूमि को पुनः बेचने हेतु कार्यवाही की जा रही है और मूल आवंटियो के भूखण्डो पर अनाधिकृत कब्जा करने की कुचेष्टा की जा रही है। इस कारण पुलिस थाना सामोद मे उक्त खातेदारो/संयोजको के विरुद्ध कई फौजदारी मुकदमें दर्ज हो चुके है जिसके विषय मे अनुसंधान अधिकारी द्वारा संस्था से रिकार्ड मांगा जा रहा है। अतः उक्त योजना माँ भवानी नगर ए के सभी भूखण्डधारी को सूचित किया जाता है कि भूखण्डधारी अपने अपने भूखण्डो के आवंटन पत्र, साईड प्लान एवं रसीदों की प्रमाणित प्रतियां सात दिवस मे समिति मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे जिससे वैद्य आवंटियो की सूची एवं रिकार्ड संधारित कर पुलिस अधिकारी एवं जे.डी.ए. को प्रस्तुत की जा सके। निर्धारित समय में सूचना प्रस्तुत नही करने वाले आवंटी सदस्यो के भूखण्डो के लिए संस्था उत्तरदायी नही होगी।
सूर्य प्रकाश, मंत्री, शिवदासपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर, 1640 बाबा हरीश चन्द मार्ग, जयपुर

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-01 जयपुर महानगर (द्वितीय)
चमन सिंह निर्वाण विरुद्ध रामसिंह राजावत व अन्य
वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
वाद सं. cs 40 सन 2025
बनाम रामसिंह राजावत पुत्र जसवंत सिंह राजावत जाति राजपूत उम्र-59
स्थान प्लाट नं. 227, मोती विहार, 21 नं. बस स्टैंड पांच्यावाला सिरसी रोड जयपुर-(राज.) ने आपके विरुद्ध के लिए वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 9 तारीख 5 माह 25 सन को दिन में 8 एएम बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुरजाई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद 5 तारीख 5 माह 25 सन को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
रीडर ग्रेड-प्रथम
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-01, जयपुर महानगर, द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2025/75
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री SHACHI ARYA, 43, PANCHWATI ALWAR, RAJASTHAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास प्रगतिशील महिला समिति अलवर, 43, PANCHWATI ALWAR, RAJASTHAN के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 07-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 15/07/2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर-प्रथम

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-01 जयपुर महानगर द्वितीय
चमन सिंह निर्वाण विरूद्ध रामसिंह राजावत व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना-पत्र संख्या TI 25/ सन् 2025
नाम रामसिंह राजावत पुत्र जसवंत सिंह राजावत जाति राजपूत पता प्लाट नं. 227, मोती विहार, 21 नं. बस स्टेंड पांच्यावाला सिरसी रोड जयपुर
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न नहीं है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 9 माह 5 सन् 25 को 8.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज ता. 5 माह 5 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत
रीडर ग्रेड
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-01, जयपुर महानगर द्वितीय

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय माननीय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर
बोदू व अन्य बनाम तेज सिंह व अन्य
दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद संख्या 204/2017
बनाम 1. सत्यभामा पत्नी रूप सिंह, 2. बलराम सिंह, 3. ऋषि रा